उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0(यू0पी0आर0एन0एस0एस0लि0),
राजकीय निर्माण एजेन्सी
जी–4/5, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
फोन नं0 0522–2390150, 0522–2390151

ठेकेदारो के पंजीकरण/सूचीबद्धता हेतु सूचना

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों को पंजीकरण/सूचीबद्ध करने हेतु **दिनांक** 16.08.2018 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस सम्बन्ध में विस्तृत **विवरण** एवं आवेदन का प्रारूप संस्था की वेबसाइट www.uprnss.org **पर उपलब्ध है।**

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियन्ता

नोटिस सं0 /सिविल/पंजी/टी दिनांक 31-7-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **प्रबन्ध** निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ।
2. **समस्त** प्रखण्ड प्रभारी, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण प्रखण्ड को उस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ–साथ उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग तथा जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु चस्पा करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. वरि0 जन सम्पर्क अधिकारी, यू0पीआर0एन0एस0एस0, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने स्तर से दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के समस्त उत्तर प्रदेश संस्करण में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ
(राजकीय निर्माण एजेन्सी)
आई.एस.ओ. 9001:2008

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली

पंजीकृत कार्यालयः जी 4/5–बी, सेक्टर–4,
गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ–226010

दूरभाषः 7991203501, 7991203502 (PBX)

Website:uprnss.org

E·E

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ
ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नियमावली

चैप्टर–1

पंजीकरण का उद्देश्य एवं विभिन्न प्रक्रिया इत्यादि

1–1 इस नियमावली का उद्देश्य मान्यता प्राप्त ऐसे ठेकेदारों की सूची तैयार करना एवं इनका रख–रखाव करना है, जो विभिन्न प्रकार एवं परिमाण के कार्यो को उचित समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार करने में सक्षम हो। इससे इन क्षेत्रों में सम्बन्धित पक्षकार यानि ठेकेदार को मान्यता प्राप्त होती है।

1–2 सूचीबद्ध ठेकेदारों को अनुमन्य सुविधाए–

1–2(i) सूचीबद्ध ठेकेदार यूपीआरएनएसएस की 'मेलिंग लिस्ट' में रखे जाएंगे तथा निविदा सूचनाओं की प्रतियां निःशुल्क उन ठेकेदारों के पते पर रजिस्टर्ड भेजी जाएगी जो उस श्रेणी में कार्य करने के लिए पंजीकृत है।

1–2(ii) सूचीबद्ध वह ठेकेदार निर्धारित स्थायी धरोहर राशि जमा करके किसी निविदा विशेष की धरोहर धनराशि से अपनी इच्छानुसार छूट प्राप्त कर सकता है।

1–2(iii)निविदा प्रपत्र की एक–एक प्रति सूचीबद्ध ठेकेदारों को उनके अनुरोध पर एवं निर्धारित मूल्य का भुगतान करने पर बिना किसी अग्रिम छानबीन के उपलब्ध कराई जाएगी। निविदा प्रपत्र की प्रति ऐसे असूचीबद्ध ठेकेदारों, जो उसी ग्रुप के कार्य हेतु उसी श्रेणी जिसके लिए यूपीआरएनएसएस द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा रही हों, में लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे, विकास प्राधिकारणों अथवा नगर निगमों आदि में पंजीकृत हो, को निर्धारित मूल्य का भुगतान करने पर उचित छानबीन के उपरान्त उपलब्ध कराई जा सकती है, परन्तु वे इस सुविधा का लाभ अनिवार्य रूप से एवं अधिकार स्वरूप नहीं उठा सकेंगे। इस सम्बन्ध में निविदा विशेष हेतु जारी नोटिस के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही होगी। ऐसे मामलों में निविदा प्रपत्र निर्गत करने या ऐसी प्रार्थना अस्वीकार करने का अधिकार यूपीआरएनएसएस के पास सुरक्षित रहेगा और प्रार्थना अस्वीकार करने के सम्बन्ध में सूचीबद्ध/असूचीबद्ध ठेकेदार स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता।

1–3 प्रक्रिया

1–3(i) सूचीबद्धता के इच्छुक ठेकेदार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दे सकते है, जो निविदा सूचना में निर्धारित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन–पत्र वांछित शुल्क सहित यूपीआरएनएसएस के निर्धारित कार्यालय (मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना अभियन्ता) में जमा किए जा सकते है।

1–3(ii) आवेदन पत्र पर निर्णय से ठेकेदार को सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाएगा और प्रार्थना स्वीकार होने की स्थिति में एक निर्धारित शुल्क जमा हो जाने पर ठेकेदार. का नाम पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

1–3(iii)सूचीबद्ध ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्थायी धरोहर धनराशि जमा करने की स्थिति में उस ठेकेदार को किसी निविदा विशेष के साथ धरोहर धनराशि जमा करने से उसकी इच्छानुसार छूट दी जाएगी और इसका स्पष्ट उल्लेख निविदा प्रपत्र पर होगा। ठेकेदार द्वारा पंजीकरण के कार्यालय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रत्येक निविदा के साथ संलग्न की जाएगी।

1–3(iv)**पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी**

श्रेणी एए, ए, बी एवं सी – मुख्य अभियन्ता, यूपीआरएनएसएस, मुख्यालय लखनऊ।

श्रेणी डी एवं ई – अधिशासी/परियोजना अभियन्ता, यूपीआरएनएसएस.....

EE

1–6 निलम्बन

1–6(i) किसी ठेकेदार, जिसके विरूद्ध निम्नाकिंत बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक न दी जाएगी जब तक उसके विरूद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाताः–

(क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार–बार दुराचरण।

(ख) कार्य की असन्तोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टान्त।

(ग) ऋणग्रस्तता में अभ्यस्त होना।

(घ) बाजार में दुर्नाम।

(ड) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अवहेलना।

(च) नशे की हालत में कार्यस्थल में उपस्थित होना।

(छ) निस्त स्तर का कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।

(ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।

(झ) निर्गत की गई सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।

(ट) यूपीआरएनएसएस अथवा अन्य सरकारी सामग्री का गबन या दुरूपयोग।

(ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य स्त्रोतों तक सूचनाएं पहुंचाना।

(ड) परिकल्पी बोली बोलना।

(ढ) किसी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा वांछित हो अथवा उस पर फौजदारी का कोर्ट केस चल रहा हो।

(ण) समय–समय पर अन्य जो आदेश दिए जायें।

1–7 सूची से हटाया जाना (Removal)

1–7(i) ऐसे ठेकेदार को जो

(क) उपरोक्त पैरा 1–6 में से किसी दोष के लिए दोषी पाया जाय, अथवा

(ख) आचरण की दुष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा

(ग) यूपीआरएनएसएस या उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था अथवा सरकारी विभागों द्वारा काली सूची में रखा गया हो, अथवा

(घ) निम्नलिखित पैरा 1–8 में निहित अयोग्यता में आता है

पंजीकृत ठेकेदार की सूची से तुरन्त निकाल दिया जाएगा।

ऐसा आदेश करने वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थाई है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है। आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।

एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या पैरा 1–6 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ति या हर्जाने का हकदार न होगा।

EE

1–7(ii) जिन मामलों में पंजीकरण हेतु सक्षम अधिकारी मुख्य अभियन्ता है वह प्रबन्ध निदेशक से पूर्व आदेश प्राप्त कर फर्म का नाम हटाने का आदेश पारित करेगा। परियोजना/अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता का पूर्व आदेश प्राप्त किया जाएगा।

1–8 अयोग्यता

1–8(i) वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह

(क) आचरण की दृष्टि से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे सम्बद्ध रहा हो।

(ख) दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा

(ग) अस्वस्थ मस्तिक वाला हो, अथवा

(घ) यूपीआरएनएसएस के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, अथवा

(ड) यूपीआरएनएसएस की सेवा में किसी परियोजना अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, समकक्ष या उच्च अधिकारी से आर्थिक रूप में या अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो, अथवा

(च) पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों की सूची से पैरा 1–7 के अन्तर्गत हटाया गया हो एवं अवधि जिसके लिए वह हटाया गया हो, समाप्त नहीं हुई है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में मुख्य अभियन्ता तथ्यात्मक रूप से परीक्षण करते हुए अपने विवेकानुसार छूट प्रदान कर सकते है।

1–9 अपवाद

1–9(i) नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण, निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाए जाने से सम्बन्धित मामलों के प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता को दिए जा सकते है तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा। प्रारम्भिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगें।

1–10 छूट

1–10(i) इसके पश्चात् इन नियमों में किसी बात के रहते हुए सक्षम अधिकारी पंजीकरण, निलम्बन एवं अग्रसारण के छूट से सम्बन्धित सभी मामलों में अपने उच्च अधिकारी को सूचित करेगा।

E·E